


10.07.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी एवं का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर रवारिज किया जाता है। पत्रावली फेरल शुमार होकर दाखिल वफतर हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

